जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना **दिनांक 10.08.2026**

थाना नगीना पुलिस द्वारा मु0अ0स0 225/26 धारा 137(2)/65(1) बीएनएस व ¾ पॉक्सो एक्ट में वाछिंत 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 09.08.2026 को वादी द्वारा थाना नगीना पर तहरीर दी गयी कि अज्ञात अभियुक्त उसकी दो नाबालिग पुत्रियों को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नगीना पर मु0अ0स0 225/26 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । विवेचना के दौरान अभियोग उपरोक्त में अभियुक्त रमनदीप उर्फ भूरे पुत्र खेम सिंह निवासी ग्राम टपरौला थाना नहटौर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश मे आया।

कार्यवाही-

दिनांक 09.08.2026 को थाना नगीना पुलिस द्वारा दोनों नाबालिग बालिकाओं को सकुशल बरामद करते हुए अभियोग में वांछित अभियुक्त रमनदीप उर्फ भूरे पुत्र खेम सिंह निवासी ग्राम टपरौला, थाना नहटौर, जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी, बयानों एवं साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग में धारा 65(1) बीएनएस एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई।अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

रमनदीप उर्फ भूरे पुत्र खेम सिंह निवासी ग्राम टपरौला, थाना नहटौर, जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
2. का0 1834 सचिन कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
3. रि0म0का0 693 मृदुल थाना नगीना जनपद बिजनौर ।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना नांगल **दिनाँक 10-08-2026**

थाना नांगल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 100/2026 धारा 109/351(3)/3(5) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

सक्षिप्त विवरण व कार्यवाही-

दिनांक 01-08-2026 को वादिया सविता पत्नी राजवीर निवासी ग्राम तिसोतरा थाना नांगल जनपद बिजनौर द्वारा थाना नांगल पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.पकंज पुत्र सन्देश 2. मोन्टी पुत्र मुन्नू निवासीगण तिसोतरा थाना नांगल जनपद बिजनौर व एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक राय होकर वादिया को जान से मारने की नियत से तंमचे से फायर किया गया।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नांगल पर मु0अ0स0 100/26 धारा 109(1)/351(3) बीएनएस बनाम पंकज आदि 02 नफर पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 09.08.2026 को थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा अभियोग उपरोक्त में वांछित अभियुक्त मोन्टी पुत्र मुन्नू निवासी तिसोतरा थाना नांगल थाना नांगल जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियोग उपरोक्त में धारा 3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मोन्टी पुत्र मुन्नू निवासी तिसोतरा थाना नांगल थाना नांगल जनपद बिजनौर।

अभियुक्त मोन्टी का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0स0-178/25 धारा 351(2)/74/78 बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

2. मु0अ0सं0100/26 धारा 109(1)/351(3) बीएनएस थाना नांगल जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री हरस्वरुप शर्मा थाना नांगल जनपद बिजनौर।

2.का0 156 रोहित थाना नांगल जनपद बिजनौर।

3.का0 299 सोनू थाना नांगल जनपद बिजनौर।

4.का0 1706 अरूण राजौरा थाना नांगल जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नजीबाबाद   दिनांक – 10.08.2026

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF मेरठ) व थाना नजीबाबाद पुलिस ने 02 अभियुक्तो को कुल 84 किलो 165 ग्राम अवैध गांजा सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद मे अपराध की रोकथाम एवं नशीले पदार्थों के विक्रय/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अवैध नशीले पदार्थो की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तो 1.दिनेश यादव पुत्र स्वर्गीय सुभाष यादव निवासी वार्ड नंबर 11 सोंग नदी के किनारे मोहल्ला भनियावाला ग्राम कनहरवाला थाना डोईवाला जिला देहरादून उत्तराखंड मूल निवासी ग्राम कसेसर थाना भीमपुरा जनपद बलिया 2. जितेंद्र पुत्र स्वर्गीय राम पुकार दास निवासी मकान नंबर 84 जजौली थाना मधुबन जनपद मऊ को 84 किलो 165 ग्राम अवैध गांजा सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 395/26 धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.दिनेश यादव पुत्र स्वर्गीय सुभाष यादव निवासी वार्ड नंबर 11 सोंग नदी के किनारे मोहल्ला भनियावाला ग्राम कनहरवाला थाना डोईवाला जिला देहरादून उत्तराखंड मूल निवासी ग्राम कसेसर थाना भीमपुरा जनपद बलिया

2. जितेंद्र पुत्र स्वर्गीय राम पुकार दास निवासी मकान नंबर 84 जजौली थाना मधुबन जनपद मऊ

बरामदगी का विवरण –

84 किलो 165 ग्राम अवैध गांजा

अभियुक्त दिनेश उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

मु0अ0स0-395/26 धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

अभियुक्त जितेन्द्र उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0स0-395/26 धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

2.मु0अ0स0-1137/2025 धारा 138(1)(बी) भारतीय विधुत अधि0 एंटी पावर थेफ्त थाना मऊ ।

3.मु0अ0स0-175/2013 धारा 354 भादवि थाना मधुबन जनपद मऊ ।

4.मु0अ0स0-243/2013 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना मधुबन जनपद मऊ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अमित कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
2. उ0नि0 राजेन्द्र सिंह ANTF थाना मेरठ ।
3. उ0नि0 पुष्पेन्द्र राठी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
4. है0का0 नसीम अहमद ANTF थाना मेरठ।
5. है0का0 तरुण तिवारी, ANTF थाना मेरठ।
6. है0का0 मृणाल शर्मा व ANTF थाना मेरठ।
7. है0का0 चालक नवीन कुमार ANTF थाना मेरठ।